टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी कोलकाता-700001
14, Biplabi Trailokya Maharaj Sarani Kolkata – 700001
www.teaboard.gov.i

दिनांक:29.07.2026

कार्यालय आदेश सं.41/2026

श्री रामेन लाल वैश्य, उप निदेशक वाय विकास का उप-क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा से क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी में स्थानांतरण कार्यालय ज्ञापन सं 81/2026दिनांक 15.07.2026 और कार्यालय आदेश सं. 11/2025 दिनांक 22.07.2025 के तहत होने के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी का यह कहने का का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उप- नियम 1955 के तहत प्रतद शक्तियों का उपयोग करते हुए, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड ने श्री रामेन लाल वैश्य, उप निदेशक वाय विकास, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी को वे सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया है जो आमतौर पर उप निदेशक वाय विकास,,टी बोर्ड, सिलीगुड़ी के पास होती हैं। यह व्यवस्था दिनांक 27.07.2026 की सुबह से लागू होगी। इसमें उनके निजी मामलों से जुड़े विषय शामिल नहीं होंगे। साथ ही, उन्हें कार्यालय के अग्रदाय खाते का रखरखाव करना होगा और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, टी बोर्ड उप-नियम, 1955 और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णय पालन करना होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1	श्री रामेन लाल वैश्य, उप निदेशक वाय विकास, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	
2	निदेशक वाय विकास	
3	कार्यकारी निदेशक, गुवाहाटी एवं कून्नूर	
4	वि स एवं मु ले अ	
5	बोर्ड के मुख्यालयके सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
6	उपाध्यक्ष/वि स एवं मु ले अ/नि चा वि/सचिव के निजी सहायक	
7	आईटी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
8	टी बी ई ए	
9	सचिवालय शाखा	
10	स्थापना शाखा .	अतिरिक्त प्रतियां सहित .

संदर्भ मिसिल सं. 7(1)/स्था/2019/भाग- III